न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/313

मिसल नम्बर– 94 / 2024

1.श्री गोविन्द सिंह परमार पुत्र स्व0 मोती सिंह परमार उम्र 70 वर्ष
2.श्रीमती कमला परमार पत्नी श्री गोविन्द सिंह परमार उम्र 65 वर्ष निवासीगण म0नं0 बी–317 तलवण्डी कोटा राज0

बनाम

प्रार्थीगण।

1.श्रीमती प्रीति नायक पत्नी श्री भूपेन्द्र सिंह परमार पुत्री रमेशचन्द नायक उम्र 41 वर्ष निवासी केयर ऑफ म0नं0 बी 317 तलवण्डी कोटा राज0
2.भूपेन्द्र सिंह परमार पुत्र श्री गोविन्द सिंह परमार उम्र 40 निवासी म0नं0 बी 317 तलवण्डी कोटा राज0

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31.7.24

उपस्थितिः–

1.श्री दिनेश सिंह चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिपक्षीनी संख्या 1 का विवाह प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ माह दिनांक 07.12.2008 को कोटा में सम्पन्न हुआ था। इस प्रकार प्रतिपक्षीगण, प्रार्थीगण के पुत्रवधू तथा पुत्र है। विवाह के उपरांत प्रतिपक्षीनी संख्या 2 को कथन करती कि मैने शादी अपनी मर्जी से नहीं की बल्कि घरवालों के दबाव में आकर की है, मैं तुम्हे पसन्द नहीं करती क्योंकि मैं उच्च शिक्षित हूं और तुम कम पढ़े लिखे हो इसलिये मेरे स्टेण्डर्ड के लायक नहीं हो इसके बावजूद प्रतिपक्षी संख्या 2 ने यही सोचकर प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के व्यवहार को सहन किया कि वैवाहिक घर बना रहे तथा शादी के 6 माह बाद ही प्रतिपक्षीनी संख्या 1 डीएवी पब्लिक स्कूल तलवण्डी कोटा में शिक्षिका की नौकरी करने लगी तथा धीरे धीरे प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा और प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रतिपक्षी संख्या 2 को प्रार्थीगण से पृथक होकर रहने के लिये दबाव बनाने लगी तथा प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ बिना वजह लडाई झगड़ा करती, गृह क्लेश करती, एक बार तो प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती कमला परमार के साथ खाना बनाने की बात को लेकर झगड़ा किया कि मैं खाना नहीं बनाउंगी जबकि प्रार्थीगण वृद्ध हैं जिनकी वृद्धावस्था में देखभाल सार संभाल करने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

की जिम्मेदारी पुत्र की हैसियत से प्रतिपक्षीगण की है। तंग आकर वर्ष 2011 प्रतिपक्षी संख्या 2 ने अपने परिजनों से पृथक होकर प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के साथ बोरखेड़ा में रहना शुरू किया परन्तु वहां भी प्रतिपक्षीनी संख्या 1 छोटी छोटी बातों पर प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ लड़ाई झगड़ा करती एवं अलग रहते हुए भी बार बार प्रार्थीगण को बीच में लाती एवं उनके लिये भला बुरा कहती तथा पैसे की मांग करती और अपने पीहर चली जाती तथा कई दिनों तक वापस नहीं आती थी तथा कुछ कहने पर पुलिस रिपोर्ट करके प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रतिपक्षी संख्या 2 तथा अन्य परिजनों को झूंठे किसों में फंसाने की धमकियां देती तत्पश्चात वर्ष 2012 में प्रतिपक्षी संख्या 2 प्रतिपक्षीनी सख्या 1 की हरक्तों एवं दुर्यवहार के कारण वापस अपने माता–पिता के पास लौट आया जहां पर नवम्बर 2013 में प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने एक पूत्री को जन्म दिया। पुत्री के जन्म के पश्चात प्रतिपक्षीनी संख्या 1 का व्यवहार और अधिक प्रतिपक्षी संख्या 2 व प्रार्थीगण के प्रति अभद्र हो गया तथा प्रतिपक्षीनी संख्या 1, प्रतिपक्षी संख्या 2 व प्रार्थीगण से पुत्री के लिये अलग घर खरीदने, एफ.डी. करवाने, बैंक बैलेन्स जमा करने के लिये दबाव बनाने लगी एवं छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करती थी। प्रतिपक्षीनी संख्या 1, प्रतिपक्षी संख्या 2 से सीधे मुंह बात नहीं करती, स्वयं का ही खाना बनाती तथा प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रतिपक्षी संख्या 2 को भी खाना नहीं देती तथा प्रार्थीगण से अभद्र व्यवहार करती, गाली गलौच करती किसी भी बात पर उलझ जाती और वर्तमान में प्रतिपक्षीनी संख्या 1 स्वयं के हिसाब से कहीं भी आती जाती हैं, कोई बात नहीं सुनती, कार लेकर चली जाती हैं जबकि प्रतिपक्षीनी संख्या 1 को सही तरीके से ड्राईविंग भी नहीं आती और कई बार एक्सीड़ेंट भी कर चुकी है जिसमें मेरे पक्षकार गोविन्द सिंह परमार के ड्राईवर की लोगों ने पिटाई भी की है तथा कहती हैं कि मुझे अलग घर, कार लेकर कहीं भी रखो, खर्चा दो मुझे अपने हिसाब से रहना है। लगभग 4 वर्ष पूर्व प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने पडौसन से मारपीट की इस संबंध में प्रतिपक्षीनी प्रतिपक्षी संख्या 2 के पड़ौसी द्वारा थाना जवाहर नगर कोटा में रिपोर्ट भी दी गई लेकिन प्रतिपक्षीनी संख्या 1 को प्रतिपक्षी संख्या 2 व प्रार्थीगण ने हाथा जोड़ी करके पड़ौसी से कार्यवाही को रूकवाया। प्रतिपक्षीगण के मध्य लगभग 7 वर्षों से पति–पत्नी के संबंध स्थापित नहीं हुए हैं। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने प्रतिपक्षीनी प्रतिपक्षी संख्या 2 से लगभग 7 वर्षों की अवधि से वैवाहिक संबंध समाप्त किये हुए हैं तथा वह प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 से बात तक नहीं करती है बल्कि सदैव वह लड़ाई झगड़े हेतु आमादा रहती है। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षीनी प्रतिपक्षी संख्या 2 से निरन्तर अभद्र एवं अपमानजनक व्यवहार करती रहती है तथा प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के क्रुरतापूर्ण व्यवहार के कारण प्रार्थीगण का अपने निजी आवास में निवास करना दुष्कर हो रहा है जिससे प्रार्थीगण अपनी वृद्धावस्था में काफी दुखी एवं तनावग्रस्त रहने लगे हैं। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 हेतु न तो खाना बनाया जाता और ना ही एक पुत्रवधू होने के नाते प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 का कोई भी कार्य नहीं करती है। प्रार्थीगण को प्रतिष्पी संख्या 2 एवं स्वयं के लिये खुद ही खाना बनाना पड़ता है। कोविड–19 महामारी के संक्मण के चलते केन्द्र सरकार द्वारा संपूर्ण देश में लॉकडाउन कर देने के कारण घरेलू नौकरानी द्वारा कार्य बन्द कर दिया गया। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 इस संकट की परिस्थिति में घर का कार्य करने के बजाये स्वयं

उपखण्ड अधिकारी

का कार्य तक नहीं करती एवं अपने गन्दे कपड़े, बर्तन इत्यादि लगातार इकट्ठे करके मकान में विभिन्न स्थलों पर फैला देती जिससे मकान में गंदगी व बदबू हो जाती जब प्रार्थी संख्या 2 श्रीमती कमला परमार को आवासीय परिसर में गंदगी नही फैलाने एवं समय पर स्वयं के कपड़े धोने तथा स्वयं के निवासरत स्थल में झाड़ू पोछे के लिये कहती तो प्रतिपक्षीनी संख्या 1 लड़ाई झगड़ा करती, गाली गलौच करती एवं उनको अपमानित करती। दिनांक 20.03.2020 को प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने पास पड़ौस के बच्चे अपने आवासीय परिसर में इकट्ठे कर लिये इस पर प्रतिपक्षी संख्या 2 ने कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पड़ौसी बच्चो को अपने अपने घरों पर जाकर अन्दर रहने के लिये कहा तो प्रतिपक्षीनी संख्या 1 ने प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ गाली गलौच की और कहा कि जब मैं तुम्हे 7 वर्षों से आपना पति ही नहीं मानती और मेरे तुम्हारे साथ कोई संबंध ही नहीं है तो तुम मेरी जिन्दगी व फैसलों में दखल देने वाले कौन होते हो क्योंकि मैं न तो तुम्हे अपना पति मानती हूं और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी हूं । इस पर प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षीनी संख्या 1 को समझाने का प्रयास किया तो उनको भी गाली गलौच कर अपमानित किया गया। इस प्रतिपक्षीनी प्रतिपक्षी संख्या 2 ने सूचना भेजकर उसी दिन प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के माता–पिता को बुलवाया प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रार्थगण के पुत्र भूपेन्द्र सिंह परमार की पुत्री आरना को प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 से बोलने नहीं देती है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 तथा अन्य परिजन आरना से बोलने का प्रयास करते हैं तो प्रतिपक्षीनी संख्या 1 मना करती है एवं पुत्री के साथ मारपीट करती है। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 प्रतिपक्षीनी संख्या 1 के व्यवहार से काफी आतंकित एवं भयभीत है। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 एवं अन्य परिजनों को झूंठे दहेज के एवं अन्य मुकदमों में फंसा देने की धमकी देती है। प्रतिपक्षीनी संख्या 1 अपने पति प्रतिपक्षी संख्या 2 पर दबाव बनाती है कि वह प्रतिपक्षीनी संख्या 1 को तलाक दे देवे जिसके लिये प्रतिपक्षी संख्या 2 तैयार नहीं होता है तो प्रतिपक्षीनी संख्या 1 इस बात को लेकर अभद्र व्यवहार एवं क्रूरतापूर्ण व्यवहार निरन्तर करती रहती है। प्रार्थीगण एवं प्रतिपक्षी संख्या 2 एवं अन्य रिश्ते दारों द्वारा कई बार प्रतिपक्षीनी संख्या 1 को समझाने का प्रयास किया लेकिन वह समझने के स्थान पर अपेक्षा से विपरीत जाकर अकारण गाली गलौच करती है एवं निरन्तर असम्मानजनक व्यवहार करती है। इन परिस्थितियो में प्रार्थीगण का प्रतिपक्षीनी के साथ निवास करना सुरक्षित नहीं रह गया हैं और प्रार्थीगण प्रतिपक्षीगण से अपने समस्त संबंध समाप्त करते हैं। प्रतिपक्षीगण प्रतिपक्षीगण प्रार्थीगण के मिल्कियती एवं स्वर्जित सम्पत्ति म०नं० बी 317 तलवण्डी कोटा में स्थित ग्राउण्ड फ्लोर पर स्थित एक बेडरूम, किचन, ड्राईग रूम, व घर का हॉल को प्रार्थीगण की सहमति से उनके पारवारिक सदस्य के रूप में उपयोग उपभोग कर रहे हैं परन्तु प्रतिपक्षीगण के आचरण एवं व्यवहार को देखते हुये प्रार्थीगण तंग एवं दुखी होकर प्रतिपक्षीगण के इस परिसर में निवास की सहमति को विड्रो करते हैं। प्रार्थीगण एक सीनियर सिटीजन है। प्रार्थीगण के उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान जिसके प्रार्थीगण स्वामी है, उससे प्रतिपक्षीगण को बेदखल किया जावे एवं प्रतिपक्षीगण को आदेशित किया जावे कि वह प्रार्थीगण को निवासरत मकान में शांतिपूर्ण निवास, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रार्थीगण को मकान में शांतिपूर्ण निवास, उपयोग व उपभोग में किसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तथा प्रतिपक्षीगण अपने कब्जे शुदा कमरे/परिसर को रिक्त करके प्रार्थीगण को कब्जा संभला दें ।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण अनुपस्थित। बावूदज सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्ट्या यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थीगण के पुत्र एवं पुत्रवधु के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से घर में अशांति उत्पन्न होती है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीया नं0 1 द्वारा प्रार्थीगण के साथ बदसलूकी, गाली गलौच, लड़ाई झगड़ा एवं झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देने का कथन किया है परन्तु प्रार्थीगण द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थीगण के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थीगण अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र में वर्णित मकान से बदेखल करने हेतु पर्याप्त आधार पत्रावली में उपलब्ध नही है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित म0नं0 बी–317 तलवण्डी कोटा राज0 से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। परन्तु अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक विवाद होने के कारण से भी प्रार्थीगण को वृद्धावस्था में सम्मानजनक एवं शांतिपूर्वक जीवन जीने से वंचित होना पड़ रहा है। जिस कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण अधिनियम आंशिक स्वीकार कर योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें एवं उनको झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी नही देवे। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश की पालना नही की जाती है तो प्रार्थीगण को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे पर्याप्त सबूतो एवं साक्ष्यों के साथ पुनः बेदखली बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करे।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/7/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा (राजस्थान)

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा